2022/390

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : रामचन्द्र खटीक आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 133/2022 (2022/390)

अनवाद

राजेश पिता नन्दलाल जी ईनाणी निवासी ईनाणी रेजीडेन्सी भीलवाड़ा रोड चित्तौड़गढ़

— वादी

बनाम

1- श्रीमती पार्वती देवी पत्नी रितेश जी ईनाणी निवासी 32ए कुम्भानगर चित्तौड़गढ़

2- श्रीमती सीमा पत्नी अनिल जी ईनाणी निवासी श्रीराम कुटीर कुम्भानगर चित्तौड़गढ़

3- श्री मुरली मनोहर पिता रमेशचन्द्र जी ईनाणी निवासी श्रीराम कुटीर कुम्भानगर चित्तौड़गढ़

4- श्रीमती सरला पत्नी रमेशचन्द्र ईनाणी नि० श्रीराम कुटीर कुम्भानगर चित्तौड़गढ़

5- मिट्ठुलाल पिता मदनलाल अडकड़या निवासी सैंती चित्तौड़गढ़

6- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही - वाद प्रस्तुत ... PA

उपस्थिति : 1- श्री ...

2- श्री ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक 30/11/2022

निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सेंती पटवारी हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ मे आराजी नम्बर 1098 रकबा 0.66 हे. 1101/2 रकबा 1.29 हे. भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के खातेदारी मे दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 5 को पारिवारिक खर्च एवं अन्य कार्यो मे रकम की आवश्यकता होने से उसके खातेदारी, स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि को समस्त हक हद रास्ता - बरसात, मेर, पाली धोरा, दाबड़ा एंव समस्त सुखाधिकार सहित वादी को 3,11,000/- रुपए मे विक्रय कर, आधिपत्य प्रदान किया व विक्रय पत्र वादी के पक्ष मे 17/04/1997 को निष्पादित कर दिनांक 22/4/1997 को उप पंजीयक कार्यालय चित्तौड़गढ़ मे पंजीयन करवाया। दिनांक 22/4/1997 से वादी बतौर मालिक शांतिपूर्वक आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग - उपभोग करता चला आ रहा है, लेकिन आराजीयात प्रतिवादी संख्या 5 के नाम ही रह जाने से, प्रतिवादी संख्या 5 ने वादी को धोखे मे रख, बिना वादी की जानकारी मे, वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी नम्बर 1098 प्रतिवादी संख्या 1 को व आ.नं. 1101 रकबा 1.29 हे. प्रतिवादी संख्या 2,3,4 को विक्रय कर दी। वर्तमान मे आ.नं. 1098 प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी मे तथा आ.नं. 1101 प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के नाम रेवेन्यु रेकार्ड मे दर्ज है, जिसकी जानकारी वादी को प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के मौके पर आने एंव रेवेन्यु रेकार्ड की जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने से हुई। आराजी नम्बर 1098 रकबा 0.66 हे. मे से 0.06 हे. सड़क परिवहन [illegible] जाने से वर्तमान मे 0.60 हे. दर्ज रेकार्ड है [illegible] आराजी नम्बर 1101/2 शुद्धि पत्र से 1101 दर्ज [illegible] गया है जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2060 से 63 [illegible] सड़क परिवहन का रकबा 0.06 हे. का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2068 मे दर्ज है।

......लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 5 ने रेवेन्यु रेकार्ड मे अपना नाम होने से षडयंत्रपूर्वक वादी को धोखा देने की नीयत से आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2,3,4 को हस्तान्तरित कर दी, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 5 को कोई अधिकार नही है, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से 4 को आराजीयात हस्तान्तरण की है वह वादी के मुकाबले प्रभावहीन व शुन्य हैं। मौके पर वादी क्रय दिनांक से वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित कराये जाने हेतु वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं प्रतिवादीगण आराजीयात को रहन-बय-बक्षीस व अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं, जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। बिनाय वाद पत्र दिनांक 13/3/2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने पर आराजीयात क्रय करने की जानकारी देने व उसके बाद दिनांक 21/3/2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने पर, आराजीयात क्रय करने की जानकारी देने व उसके बाद दिनांक 21/3/2022 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त मे वाद पत्र के कालम संख्या 1 से 5 तक जबरन ताकत के बल पर कब्जा प्राप्त कर लेवे तो पुनः वादी को कब्जा दिलाये जाने बाबत डिक्री प्रदान किए जाने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजि[illegible] प्रतिवादीगण को जरिए नोटीस तलब किया गया। [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक ने दिनांक 29/7/2022 [illegible] उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया [illegible] की प० ह० तहसील चित्तौडगढ़ मे आ.नं. 1098 रकबा 0.60 व आराजी ...... लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

नम्बर 1101 रकबा 1.29 हे० अवस्थित है। उक्त आराजीयात में से आ.नं. 1101 रकबा 1.29 हे० प्रतिवादी संख्या 5 ने पंजीकृत विलेख दिनांक 22/5/1997 से वादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया। आ.नं. 1098 रकबा 0.66 हे. थी जो वर्तमान मे 0.60 हे. हैं वह प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए पंजीकृत विलेख से विक्रय की है। वादी को विक्रय करने के बाद प्रतिवादी संख्या 5 ने उक्त आ.नं. 1101 रकबा 1.29 हे. को पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी सं. 2 श्रीमती सीमा, प्रतिवादी संख्या 3 मुरलीमनोहर प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती सरला को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी हैं। दिनांक 22.5.1997 को वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 5 ने पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी विक्रय की है, उससे प्रतिवादीगण सहमत है। ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 1101 रकबा 1.29 हे. वादी राजेश ईनाणी के खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम अमलदरामद कराये जाने मे प्रतिवादीगण को कोई आपति नही है, वादी राजेश ईनाणी की प्रतिवादी संख्या 5 से खरीद शुदा आराजी मे प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का कोई सम्बन्ध नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा हो गया है, राजीनामा अनुसार ग्राम सेंती की आ.नं. 1101 रकबा 1.29 हे. वादी राजेश पिता नन्दलाल ईनाणी निवासी चित्तौडगढ के खातेदारी की घोषित किए जाने की डिक्री प्रदान करा खातेदारी मे दर्ज कराई जावे।

राजीनामा मे यह तथ्य भी अं[illegible] गया है कि आ.नं. 1098 रक[illegible] संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती पा[illegible] विक्रय की है, जो पार्वतीदेवी के खातेदारी मे दर्ज है, ज[illegible] सही है। आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

1098 के लिए वादी द्वारा वाद पत्र में गलत अंकन कर दिया है, आराजी नम्बर 1098 बाबत् वादी अपना वाद पत्र विड्रो करता है। आराजी नम्बर 1101 मे प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त, उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी दस्तांजी नही करेगें। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा में वर्णित तथ्य उपस्थित पक्षकारान को सुनाया गया- पक्षकारान ने राजीनामा में वर्णित तथ्य को सही एवं सत्य होना बताया, जिससे राजीनामा तस्दीक किया गया। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं राजीनामा मे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। ग्राम सेंती की आराजी नम्बर 1101 रकबा 1.29 हे. वादी द्वारा क्रय करने के कई समय बाद प्रतिवादी संख्या 2,3,5 द्वारा क्रय कर, राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित करवाई जो वादी के हक के मुकाबले शून्य होने से हस्ब राजीनामा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी नम्बर 1101 रकबा 1.29 हे॰ वादी के खातेदारी की घोषित की जाती है एवं राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **रामचन्द्र खटीक** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.राजेश पिता नन्दलाल जी ईनाणी नि.ईनाणी रेजीडेन्सी भीलवाडा रोड चित्तौडगढ़
—वादी

बनाम

1.श्रीमती पार्वती देवी पत्नी दिनेश जी ईनाणी नि. 32 ए कुम्भानगर चित्तौडगढ़
2.श्रीमती सीमा पत्नी अनिल जी ईनाणी नि. श्रीरामकुटीर कुम्भानगर चित्तौडगढ़
3.श्री मुरली मनोहर पिता रमेशचन्द्र जी ईनाणी नि. श्रीरामकुटीर कुम्भानगर चित्तौडगढ़
4.श्रीमती सरला पत्नी रमेशचन्द्र ईनाणी नि. श्रीरामकुटीर कुम्भानगर चित्तौडगढ़
5.मिट्ठुलाल पिता मदनलाल भडकत्या नि. सेंती चित्तौडगढ़
6.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ़
—प्रतिवादीगण

प्र.स. 133 / 2022 (GCMS 2022/390)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88—188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री ललित लढ़ा की, और प्रतिवादी संख्या 1से 5 की ओर से वकील श्री हेमन्त गर्ग की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि हस्ब राजीनामा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील व जिला चित्तौडगढ़ स्थित आराजी नम्बर 1101 रकबा 1.29 हे. वादी के खातेदारी की घोषित की जाती हैं एंव राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 तक का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौडगढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramchandra Khatik
Date: 2023.01.12 17:32:17 IST
Reason: SelfAttested